भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH PUNE

डॉ. होमी भाभा मार्ग, पुणे 411008, महाराष्ट्र, भारत | Dr. Homi Bhabha Road, Pune 411008, Maharashtra, India T +91 20 2590 8001 **W** www.iiserpune.ac.in



54(2)/IISER/Pune/2024-25/MOM/

Date 5 9 2024

CORRIGENDUM-1

NAME OF WORK: ANNUAL MAINTENANCE AND MINOR CIVIL WORKS AT NON RESIDENTIAL

ZONE OF IISER PUNE CAMPUS DURING YEAR 2024-25.

NIT NUBER : 23/IISER/PUNE/2024-25 Tender ID : 2024 IISRP 823364 1

SUBJECT: ADDITION BILINGUAL COPY OF INTEGRITY AGREEMENT, PROFORMA OF AGREEMENT AND VENDOR CREATION FORM TO THE ORIGINAL TENDER DOCUMENT.

Below listed documents are added to the tender document

INTEGRITY AGREEMENT (Bilingual copy)
 PROFORMA OF AGREEMENT (Bilingual copy)
 VENDOR CREATION FORM
 One) Pages

The original tender document and conditions already published stands as it is.

The above Corrigendum-1 and its annexures shall form a part of the tender document.

The bidders are further requested to take note of above corrigendum & quote accordingly.

This corrigendum and its enclosure shall be made available on Institute website and e-procurement portal for the bidders reference.

SUPERINTENDING EI

Enclosures:

INTEGRITY AGREEMENT : 9 Pages
 PROFORMA OF AGREEMENT : 3 Pages
 VENDOR CREATION FORM : 1Page



सत्यनिष्ठा करार / INTEGRITY AGREEMENT

यह सत्यनिष्ठा करार में दि 20 को किया जाता है। This Integrity Agreement is made at on this day of 20				
के बीच / BETWEEN				
आईआईएसईआर का प्रतिनिधित्व करते हुए कुलसचिव, (इसके बाद 'प्रमुख/मालिक' के रूप में उल्लेख किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत कार्य शामिल हैं) IISER represented through its Registrar, (Hereinafter referred as the 'Principal/Owner', which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns)				
और / AND				
(विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण) के द्वारा				
(व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का नाम और पता) (इसके बाद "बोलीदाता/ठेकेदार" के रूप में उल्लेख किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति तब तक होगी जब तक कि अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो इसमें इसके उत्तराधिकारी और अनुमत कार्य शामिल हैं) (Name and Address of the Individual/firm/Company) through				
the meaning or context hereof include its successors and permitted assigns) प्रस्तावना / Preamble				
जबिक प्रमुख/मालिक ने निविदा (एनआईटी सं) जारी की है। (इसके बाद "निविदा/बोली" के रूप में उल्लेख किया जाएगा) और निर्धारित संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत				
hereinafter referred to as the "Contract".				
जबिक प्रमुख/मालिक देश के सभी प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों, संसाधनों का किफायती उपयोग तथा अपने बोलीदाता(ओं) और ठेकेदार(रों) के साथ अपने संबंध में निष्पक्षता/पारदर्शिता के पूर्ण अनुपालन को महत्व देता है। AND WHEREAS the Principal/Owner values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relation with its Bidder(s) and Contractor(s).				

और जबिक उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों पक्ष इस सत्यनिष्ठा करार (इसके बाद "सत्यनिष्ठा संधि" अथवा "संधि" के रूप में उल्लेख किया जाएगा) करने के लिए सहमत हुए हैं, जिनके नियम एवं शर्तों को दोनों पक्षों के बीच निविदा/बोली दस्तावेज और ठेके के अभिन्न हिस्से एवं खंड के रूप में भी पढ़ा जाएगा।

AND WHEREAS to meet the purpose aforesaid both the parties have agreed to enter into this Integrity Agreement (hereinafter referred to as "Integrity Pact" or "Pact"), the terms and conditions of which shall also be read as integral part and parcel of the Tender/Bid documents and Contract between the parties.

अब, इसलिए, इस संधि में निहित आपसी प्रसंविदाओं पर विचार करते हुए, पक्षकार एतद्द्वारा निम्नानुसार सहमत है और यह संधि निम्नलिखित का साक्षी है:

NOW, THEREFORE, in consideration of mutual covenants contained in this Pact, the parties hereby agree as follows and this Pact witnesses as under:

अनुच्छेद 1: प्रमुख/मालिक की वचनबद्धता

Article 1: Commitment of the Principal/Owner

1) प्रमुख/मालिक स्वयं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने तथा निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करने के लिए वचन देता है:

The Principal/Owner commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:

- (a) प्रमुख/मालिक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के माध्यम से, निविदा या ठेके के निष्पादन के संबंध में, किसी भी भौतिक या अभौतिक लाभ जिसके लिए वह व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मांग नहीं करेगा, स्वीकार करने का वादा या स्वीकार नहीं करेगा।
 - No employee of the Principal/Owner, personally or through any of his/her family members, will in connection with the Tender, or the execution of the Contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
- (b) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रमुख/मालिक सभी बोलीदाता(ओं) के साथ समानता एवं तर्क के साथ व्यवहार करेगा। विशेष रूप से प्रमुख/मालिक निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाता(ओं) को एक जैसी जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता(ओं) को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं करेगा, जिसके माध्यम से बोलीदाता(ओं) निविदा प्रक्रिया या ठेके के निष्पादन करने के संबंध में लाभ प्राप्त हो सकता है।

The Principal/Owner will, during the Tender process, treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal/Owner will, in particular, before and during the Tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential / additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the Tender process or the Contract execution.



- (c) प्रमुख/मालिक किसी भी ऐसे व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास करेंगे, जिसका आचरण पूर्व में पक्षपाती प्रकृति का रहा हो।

 The Principal/Owner shall endeavour to exclude from the Tender process any person, whose conduct in the past has been of biased nature.
- 2) यदि प्रमुख/मालिक अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) / भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) के तहत एक आपराधिक अपराध है या इसमें उल्लिखित सिद्धान्तों का उल्लंघन है या यदि इस संबंध में कोई ठोस संदेह होने पर, प्रमुख/मालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को इसकी सूचना देगा तथा इसके अलावा अपनी आंतरिक निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर सकता है। If the Principal/Owner obtains information on the conduct of any of its employees which is a criminal offence under the Indian Penal code (IPC)/Prevention of Corruption Act, 1988 (PC Act) or is in violation of the principles herein mentioned or if there be a substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can also initiate disciplinary actions as per its internal laid down policies and procedures.

अनुच्छेद 2: बोलीदाता/ठेकेदार की वचनबद्धता

Article 2: Commitment of the Bidder(s)/Contractor(s)

- 1) यह अपेक्षित है कि प्रत्येक बोलीदाता/ठेकेदार (उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेन्टों सिहत) उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें, और सरकार/विभाग को धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार या जबरदस्ती या मिलीभगत के सभी संदिग्ध कार्यों की सूचना दें, जिसके बारे में उसे पता है या निविदा प्रक्रिया के दौरान तथा ठेके की बातचीत या ठेका देने के दौरान पता चलता है। It is required that each Bidder/Contractor (including their respective officers, employees and agents) adhere to the highest ethical standards, and report to the Government / Department all suspected acts of fraud or corruption or Coercion or Collusion of which it has knowledge or becomes aware, during the tendering process and throughout the negotiation or award of a contract.
- 2) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) स्वयं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए वचन देता है। वह स्वयं निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के दौरान और ठेके के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करने के लिए वचन देता है:

 The Bidder(s)/Contractor(s) commits himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the Tender process and during the Contract execution:
 - a) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) निविदा प्रक्रिया के दौरान या ठेके के निष्पादन के दौरान बदले में किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या ठेके के निष्पादन में शामिल प्रमुख/मालिक के कोई भी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को कोई भौतिक या अन्य लाभ जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है, की पेशकश नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा या नहीं देगा।

The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm, offer, promise or give to any of the Principal/Owner's employees involved in the Tender process or execution of the Contract or to any third person any material



or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the Tender process or during the execution of the Contract.

- b) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) अन्य बोलीदाता(ओं) के साथ औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी गप्त करार या समझौते में शामिल नहीं होंगे। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणीकरण, सहायक ठेकों, बोलियों को प्रस्तृत करने या गैर-प्रस्तुत करने या प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रतिबंधित करने के लिए कोई अन्य कार्य या बोली प्रक्रिया में उत्पादक संघ के लिए लाग होता है। The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidder(s) into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to cartelize in the bidding process.
- c) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेगा। इसके अलावा बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी सहित योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में व्यावसायिक रिश्ते के भाग के रूप में प्रमुख/मालिक द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेजों का अनुचित तरीके से उपयोग नहीं करेगा (प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए) या किसी अन्य को नहीं देगा। The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act. Further the Bidder(s)/Contract(s) will not use improperly, (for the purpose of competition or personal gain), or pass on to others, any information or documents provided by the Principal/Owner as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
- d) विदेशी मूल के बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) को भारत में एजेन्टों/प्रतिनिधियों के नाम और पते बताना होगा, यदि कोई हो। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) को विदेशी एजेन्टों/प्रतिनिधियों के नाम और पते बताना होगा, यदि कोई हो। या तो विदेशी प्रिंसिपल की ओर से भारतीय एजेन्ट या विदेशी प्रिंसिपल सीधे निविदा में बोली लगा सकता है लेकिन दोनों नहीं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहाँ एक एजेन्ट एक विनिर्माता की ओर से निविदा में भाग लेता है, तो उसे उसी मद के लिए बाद में/समानांतर निविदा में पहले विनिर्माता के साथ किसी अन्य विनिर्माता की ओर से बोली लगाने की अनुमित नहीं होगी।

The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the names and addresses of agents/representatives in India, if any. Similarly Bidder(s)/ Contractor(s) of Indian Nationality shall disclose names and addresses of foreign agents/representatives, if any. Either the Indian agent on behalf of the foreign principal or the foreign principal directly could bid in a tender but not both. Further, in cases where an agent participates in a tender on behalf of one manufacturer, he shall not be allowed to quote on behalf of another manufacturer along with the first manufacturer in a subsequent/parallel tender for the same item.

e) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों को बताना होगा, जो उसने इस निविदा को प्राप्त करने के लिए एजेन्टों, दलालों या अन्य मध्यस्थों को देने का वचन दिया है या देने का इरादा रखता है। The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all



payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the Contract.

- 3) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) ऊपर उल्लिखित अपराधों को करने के लिए या ऐसे अपराधों के सहायक बनने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नहीं उकसाएगा।

 The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.
- 4) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) अनुचित लाभ प्राप्त करने या दूसरों के न्यायोचित हित को नुकसान पहुँचाने और/या सरकारी हितों की हानि के लिए खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से कपटपूर्ण गतिविधियों जैसे जन अधिकारी को उसके भरोसे काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों का लोप या नकली/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने में शामिल नहीं होगा।

The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm indulge in fraudulent practice means a willful misrepresentation or omission of facts or submission of fake/forged documents in order to induce public official to act in reliance thereof, with the purpose of obtaining unjust advantage by or causing damage to justified interest of others and/or to influence the procurement process to the detriment of the Government interests.

5) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से दवाब नहीं डालेगा (अर्थात् कुछ प्राप्त करने का कार्य, किसी कार्य के लिए मजबूर करना या डरा-धमका कर किसी निर्णय को प्रभावित करना, धमकी या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल का उपयोग करना, जहाँ संभावित या वास्तविक चोट किसी व्यक्ति, उसकी प्रतिष्ठा या सम्पत्ति पर निविदा प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए हो सकती है)।

The Bidder(s)/Contractor(s) will not, directly or through any other person or firm use Coercive Practices (means the act of obtaining something, compelling an action or influencing a decision through intimidation, threat or the use of force directly or indirectly, where potential or actual injury may befall upon a person, his/ her reputation or property to influence their participation in the tendering process).

अनुच्छेद 3: उल्लंघन के परिणाम

Article 3: Consequences of Breach

कानून या ठेका या इसकी स्थापित नीतियों और निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत प्रमुख/मालिक के लिए उपलब्ध किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) द्वारा इस सत्यनिष्ठा संधि के उल्लंघन के मामले में प्रमुख/मालिक के पास निम्नलिखित अधिकार होंगे और बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) उसे स्वीकार करेगा तथा प्रमुख/मालिक के आत्यंधिक अधिकार का सम्मान करेगा और उसकी मर्यादा बनाए रखेगा:

Without prejudice to any rights that may be available to the Principal/Owner under law or the Contract or its established policies and laid down procedures, the Principal/Owner shall have the following rights in case of breach of this Integrity Pact by the Bidder(s)/Contractor(s) and the Bidder/ Contractor accepts and undertakes to respect and uphold the Principal/Owner's absolute right:



1) यदि बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) ने या तो ठेका प्राप्त करने से पूर्व या ठेके के निष्पादन के दौरान उपर्युक्त अनुच्छेद 2 के उल्लंघन के माध्यम से या किसी अन्य रूप में उल्लंघन किया है, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा हो, तो प्रमुख/मालिक को ठेकेदार को 14 दिन का नोटिस देने के बाद निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) को अयोग्य घोषित करने या ठेका समाप्त/निर्धारित करने, यदि पहले ही निष्पादित किया गया है या बोलीदाता/ठेकेदार को भविष्य में ठेका प्रदान प्रक्रियाओं से बहिष्कृत करने का अधिकार होगा। प्रमुख/मालिक द्वारा बहिष्कार का अधिरोपण और अवधि का निर्धारण उल्लंघन के त्रुटि-स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ऐसा बहिष्कार हमेशा के लिए या सीमित अवधि के लिए हो सकता है जैसा कि प्रमुख/मालिक द्वारा तय किया गया हो।

If the Bidder(s)/Contractor(s), either before award or during execution of Contract has committed a transgression through a violation of Article 2 above or in any other form, such as to put his reliability or credibility in question, the Principal/Owner after giving 14 days notice to the contractor shall have powers to disqualify the Bidder(s)/Contractor(s) from the Tender process or terminate/determine the Contract, if already executed or exclude the Bidder/Contractor from future contract award processes. The imposition and duration of the exclusion will be determined by the severity of transgression and determined by the Principal/Owner. Such exclusion may be forever or for a limited period as decided by the Principal/Owner.

2) बयाना जमा राशि / निष्पादन गारंटी / प्रतिभूति जमा की जब्ती: यदि प्रमुख/मालिक ने ठेका प्रदान करने से पूर्व ही निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता(ओं) को अयोग्य घोषित कर दिया है या ठेका को समाप्त/निर्धारित कर दिया है या अनुच्छेद 3(1) के अनुसार ठेका को समाप्त/निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो प्रमुख/मालिक स्वयं को प्राप्त किसी भी कानूनी अधिकार का प्रयोग करने के अलावा, अपनी सुविचारित राय में बोलीदाता/ठेकेदार की बयाना जमा राशि, निष्पादन गारंटी और प्रतिभृति जमा की पूरी राशि को जब्त कर सकता है।

Forfeiture of EMD/Performance Guarantee/Security Deposit: If the Principal/Owner has disqualified the Bidder(s) from the Tender process prior to the award of the Contract or terminated/determined the Contract or has accrued the right to terminate/determine the Contract according to Article 3(1), the Principal/Owner apart from exercising any legal rights that may have accrued to the Principal/Owner, may in its considered opinion forfeit the entire amount of Earnest Money Deposit, Performance Guarantee and Security Deposit of the Bidder/Contractor.

3) आपराधिक देयता: यदि प्रमुख/मालिक को यह जानकारी प्राप्त होती है कि बोलीदाता या ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी या प्रतिनिधि या सहयोगी का आचरण आईपीसी अधिनियम के अर्थ के तहत भ्रष्ट है या प्रमुख/मालिक को इस संबंध में मूल संदेह है, तो प्रमुख/मालिक आगे की जाँच के लिए कानून लागू करने वाली एजेन्सियों को इसकी सूचना देगा।

Criminal Liability: If the Principal/Owner obtains knowledge of conduct of a Bidder or Contractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder or Contractor which constitutes corruption within the meaning of IPC Act, or if the Principal/Owner has substantive suspicion in this regard, the Principal/Owner will inform the same to law enforcing agencies for further investigation.



अनुच्छेद 4: पूर्व उल्लंघन

Article 4: Previous Transgression

1) बोलीदाता घोषणा करता है कि पिछले 5 वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कम्पनी के साथ कोई भ्रष्टाचार निरोधक दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए तथा न ही केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या भारत में किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ कोई पूर्व उल्लंघन नहीं हुआ है, जो निविदा प्रक्रिया से उनके बहिष्कार को उचित ठहरा सकता है।

The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last 5 years with any other Company in any country confirming to the anticorruption approach or with Central Government or State Government or any other Central/State Public Sector Enterprises in India that could justify his exclusion from the Tender process.

- 2) यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत विवरण देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या बोलीदाता/ठेकेदार के व्यावसायिक लेनदेन/अवकाश सूचीकरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्रवाई की जा सकती है जैसा कि प्रमुख/मालिक द्वारा उचित समझा जाए।

 If the Bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the Tender process or action can be taken for banning of business dealings/holiday listing of the Bidder/Contractor as deemed fit by the Principal/Owner.
- 3) यदि बोलीदाता/ठेकेदार यह साबित कर सकता है कि उसने अपने द्वारा किए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति कर दी है और एक उपयुक्त भ्रष्टाचार निवारण प्रणाली स्थापित कर दी है, तो प्रमुख/मालिक, स्वयं के विवेक से समय से पहले ही बहिष्कार रद्द कर सकता है।

 If the Bidder/Contractor can prove that he has resorted/recouped the damage caused by him and has installed a suitable corruption prevention system, the Principal/Owner may, at its own discretion, revoke the exclusion prematurely.

अनुच्छेद 5: सभी बोलीदाताओं / ठेकेदारों / उप ठेकेदारों के साथ समान व्यवहार Article 5: Equal Treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors

- 1) बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(रों) इस सत्यनिष्ठा संधि के अनुरूप सभी उप ठेकेदारों से प्रतिबद्धता की माँग करने का वचन देता है। बोलीदाता/ठेकेदार अपने किसी भी उप ठेकेदार/उप-विक्रेता द्वारा इस करार/संधि में निर्धारित सिद्धान्तों के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगा।
 - The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact. The Bidder/Contractor shall be responsible for any violation(s) of the principles laid down in this agreement/Pact by any of its Subcontractors/sub-vendors.
- 2) प्रमुख/मालिक सभी बोलीदाताओं और ठेकेदारों के साथ तद्रूप शर्तों पर इस संधि में शामिल होगा। The Principal/Owner will enter into Pacts on identical terms as this one with all Bidders and Contractors.
- 3) प्रमुख/मालिक उन बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देंगे जो निविदा या निविदा प्रक्रिया से, निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण पर इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ ही प्रमुख/मालिक और बोलीदाता के बीच विधिवत हस्ताक्षरित संधि जमा नहीं करते हैं।

The Principal/Owner will disqualify Bidders, who do not submit, the duly signed Pact between the Principal/Owner and the bidder, along with the Tender or violate its provisions at any stage of the Tender process, from the Tender process.



अनुच्छेद 6: संधि की अवधि

Article 6: Duration of the Pact

संधि तब शुरू होती है जब दोनों पक्षों ने कानूनी रूप से इस पर हस्ताक्षर कर दिए हों। यह ठेकेदार/विक्रेता के लिए ठेके के अधीन कार्य पूरा होने के 12 महीने बाद या दोष दायित्व अविध के जारी रहने तक, जो भी अधिक हो और अन्य सभी बोलीदाताओं के लिए ठेका प्रदान किए जाने तक समाप्त हो जाती है। इस अविध के दौरान यदि कोई दावा किया जाता है / दायर किया जाता है तो ऊपर निर्दिष्ट अनुसार इस संधि के समाप्त होने के बावजूद यह बाध्य और मान्य रहेगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसका निर्वहन/निर्धारण नहीं किया जाता है।

This Pact begins when both the parties have legally signed it. It expires for the Contractor/Vendor 12 months after the completion of work under the contract or till the continuation of defect liability period, whichever is more and for all other bidders, till the Contract has been awarded. If any claim is made/lodged during the time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this Pacts as specified above, unless it is discharged/determined by the Competent Authority.

अनुच्छेद 7: अन्य उपबन्ध

Article 7: Other Provisions

1) यह संधि भारतीय कानून के अधीन है, तथा इसके निष्पादन का स्थान और क्षेत्राधिकारी प्रमुख/मालिक का **मुख्यालय** है, जिसने यह निविदा जारी की है।

This Pact is subject to Indian Law, place of performance and jurisdiction is the **Headquarters of the** Principal/Owner, who has floated the Tender.

- 2) बदलाव और अनुपूरक लिखित रूप में किया जाना अनिवार्य है। पक्ष समझौते नहीं किए गए हैं। Changes and supplements need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- 3) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या सहायता संघ है, तो इस संधि पर सभी साझेदारों के या सभी साझेदारों और सहायता संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा रखने वाले एक या एक से अधिक साझेदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए। कम्पनी के मामले में, इस संधि पर बोर्ड के संकल्प द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

If the Contractor is a partnership or a consortium, this Pact must be signed by all the partners or by one or more partner holding power of attorney signed by all partners and consortium members. In case of a Company, the Pact must be signed by a representative duly authorized by board resolution.

4) इस संधि के एक या कई उपबन्ध यदि अमान्य हो जाते हैं, तो शेष मान्य रहेंगे। इस मामले में, इस करार के मूल कार्य को करने हेतु सभी पक्षकार प्रयास करेंगे।

Should one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; the remainder of this Pact remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intensions.



5) यह सहमत नियम और शर्त है कि इस सत्यिनिष्ठा करार / संधि की शर्तों के संबंध में पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, प्रमुख/मालिक द्वारा इस सत्यिनिष्ठा करार / संधि या उसकी व्याख्या के अनुसार की गई कोई भी कार्रवाई मध्यस्थता के अधीन नहीं होगी।

It is agreed term and condition that any dispute or difference arising between the parties with regard to the terms of this Integrity Agreement / Pact, any action taken by the Owner/Principal in accordance with this Integrity Agreement/Pact or interpretation thereof shall not be subject to arbitration.

अनुच्छेद 8: कानूनी और पूर्व अधिकार

दिनांक / Dated:

Article 8: LEGAL AND PRIOR RIGHTS

पक्षकारों के सभी अधिकार और उपचार ठेका और/या कानून के तहत ऐसे पक्षकारों से संबंधित अन्य सभी कानूनी अधिकारों और उपचारों के अतिरिक्त होंगे तथा उन्हें संचयी माना जाएगा और उपर्युक्त ऐसे कानूनी अधिकारों और उपचारों का विकल्प नहीं। संक्षिप्तता के लिए, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस सत्यनिष्ठा संधि के तहत शामिल किसी भी उपबन्ध के संबंध में इस सत्यनिष्ठा संधि को निविदा/ठेके के दस्तावेजों पर वरीयता दी जाएगी।

All rights and remedies of the parties hereto shall be in addition to all the other legal rights and remedies belonging to such parties under the Contract and/or law and the same shall be deemed to be cumulative and not alternative to such legal rights and remedies aforesaid. For the sake of brevity, both the Parties agree that this Integrity Pact will have precedence over the Tender/Contact documents with regard any of the provisions covered under this Integrity Pact.

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित स्थान और तारीख में इस सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे निष्पादित किया है:

IN WITNESS WHEREOF the parties have signed and executed this Integrity Pact at the place and date first above mentioned in the presence of following witnesses:

(प्रग्	नुख/मालिक के लिए और उनकी ओर से ∕ For and on behalf of Principal/Owner)
 (बो	लीदाता/ठेकेदार के लिए और उनकी ओर से / For and on behalf of Bidder/Contractor)
गव 1.	ाह / WITNESSES: (हस्ताक्षर, नाम और पता / signature, name and address)
2.	(हस्ताक्षर, नाम और पता / signature, name and address)
स्था	न / Place:



करार प्रपत्र / PROFORMA OF AGREEMENT

यह करार लेख मी द			
के बीच / BETWEEN			
पहले भाग में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, (आईआईएसईआर पुणे) (इसके बाद नियोक्ता के रूप में उल्लेख किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और कार्य शामिल होंगे, जहाँ संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है) Indian Institutes of Science Education and Research PUNE, (IISER PUNE) (Hereinafter referred to as the employer which expression shall includes its successors and assigns where the context so admits) of the one part			
और / AND			
दूसरे भाग में (इसके बाद ठेकेदार(रों) के रूप में उल्लेख किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति में इसके/उनके संबंधित वारिस, निष्पादक, प्रशासक और कार्य शामिल होंगे, जहाँ संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है) (Hereinafter referred to as the contractor(s) which expression shall include his/their respective heirs, executors, administrators and assigns where the context so admits) of the other part.			
जबिक नियोक्ता कार्य			
और जबिक ठेकेदार ने इस करार के उचित निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में नियोक्ता के पास रु. की राशि जमा की है, जैसा कि उक्त शर्तों में प्रदान किया गया है। AND WHEREAS the contractor has deposited a Sum of Rs			
with employer as security for the due performance of this agreement as provided in the said Conditions.			
अब एतद्द्वारा पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नानुसार सहमित और घोषणा की जाती है। NOW IT IS HEREBY agreed and declared by and between the parties as follows.			
(a) उसे किए जाने वाले भुगतान को ध्यान में रखते हुए जैसा कि इसमें इसके बाद प्रदान किया गया है, ठेकेदार इसमें निहित शर्तों के अधीन होगा और उक्त शर्तों को निष्पादित करेगा तथा उक्त ड्रॉइंग पर दिखाए गए कार्य को पूरा करेगा और कार्य शुरू करने के आदेश की तारीख से के भीतर			



ऐसे और विस्तृत ड्रॉइंग उसे प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा उन्हें उक्त विनिर्दिशों और मात्राओं की उक्त मूल्य अनुसूची में वर्णित किया जा सकता है।

(b) नियोक्ता ठेकेदार को ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो उक्त शर्तों में निर्दिष्ट समय और तरीके से एतदधीन देय होगा।

The employer shall pay to the contractor such sum that shall become payable hereunder at the times and in the manner specified in the said conditions.

- (c) समय इस करार का सार है और ठेकेदार ठेके की सामान्य शर्त के खंड 2 के अनुसार देरी के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए सहमत है।

 Time is essence of this agreement and the contractor agrees to pay compensation for delay as per Clause 2 of general Condition of Contract.
- (d) नीचे (एफ) के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेज इस करार का आधार बनेंगे तथा सामग्री और कारीगरी के विवाद के सभी मामलों के संदर्भ में अभियंता या प्रभारी अभियंता का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

The documents mentioned below under (f) shall form the basis of this agreement and the decision Engineer or the Engineers in Charge, in reference to all matters of dispute as to material and workmanship shall be final and binding on both the parties.

- (e) प्रभारी अभियंता के माध्यम से नियोक्ता के पास ड्रॉइंग में बदलाव करने और कार्य की किसी भी सामग्री को जोड़ने या हटाने या उसके हिस्से को विभागीय रूप से या अन्यथा करने का अधिकार सुरक्षित है और इस तरह के परिवर्तन या विविधता करार का उल्लंघन नहीं करेंगी।

 The employer through the Engineer-in-Charge reserves to himself the right of altering the drawings and the adding to or omitting any items of works or of having portions of the same carried out departmentally or otherwise and such alterations or variations shall not violate agreement.
- (f) इस करार में ऊपर बताए गए कार्य और उससे जुड़े सम्पूर्ण सहायक कार्य शामिल हैं, भले ही कार्य ड्रॉइंग पर नहीं दिखाया गया हो या उक्त विनिर्देशों या मात्राओं की मूल्य अनुसूची में वर्णित नहीं किया गया हो।

This agreement comprises the work said above and the entire subsidiary work connected there with, even though work may not be shown on the drawings or described in the said specifications or the priced schedule of quantities.

इस करार में करार लेख के पृष्ठों के अलावा निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हैं। This agreement contains the following documents in addition to pages of articles of agreement.

- (a) निविदा आमंत्रण सूचना / कार्य आदेश / NIT/WORK ORDER
- (b) मद दर निविदा प्रपत्र और कार्यों के लिए ठेका / Item rate tender form & contract for works

- (c) सामान्य नियम और निर्देश / General Rules and Directions
- (d) ठेके की शर्तें / Condition of contracts
- (e) ठेके के खंड / Clauses of contracts
- (f) सुरक्षा कोड / Safety code
- (g) आईआईएसईआर पुणे या इसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, स्वच्छता व्यवस्था की सुरक्षा के लिए मॉडल नियम / Models rules for the protection of health, sanitary arrangements for workers employed by IISER PUNE or its Contractors.
- (h) ठेकेदार श्रम विनियम / Contractors labour regulations
- (i) करार प्रपत्र / Proforma of agreement
- (j) अनुसूची A से C का प्रपत्र / Proforma of Schedule A to C
- (k) ठेके की विशेष शर्तें / Special Condition of contracts
- (I) तकनीकी विनिर्देश / Technical specifications
- (m) निविदा ड्रॉइंग / Tenders drawings
- (n) मूल्य अनुसूची / मात्राओं की अनुसूची / Price Schedule/ Schedule of Quantities
- (o) ठेका प्रदान करने तक पक्षकारों के बीच सभी पत्राचार / All corresponds between the parties until award of contract
- (p) पूर्व योग्यता दस्तावेज / Prequalification document

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इसमें ऊपर लिखे दिन और वर्ष को अपने-अपने हाथों से अंकित किया है। In witness whereof the parties hereto have their respective hands the day and the year herein above written.

नियोक्ता के लिए और उसकी ओर से हस्ताक्षरित Signed by for and on behalf of the employer.

	\sim			
TTTPTT	CLEALLS	ना /	Engineer	In abares
N MICH	जामप	KH /	Enameer	In-charge.

	गवाह / Witness (1)	
	गवाह / Witness (2)	
उक्त ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षरित / Signed by the said contra	actor	
पता / Address	गवाह / Witness (1)	
प्रतिहस्ताक्षरित / Countersigned	गवाह / Witness (2)	





INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH (IISER), PUNE

Vendor Creation Form

	Details		
Name of the Vendor			
(Contractors/Suppliers/Service Providers etc.)			
Vendor Address			
Vendor City			
Vendor State			
Vendor PIN Code			
Vendor Contact Person			
Vendor Phone No.			
Vendor E-Mail			
Nature of services to be provided by Vendor			
Bank	Account Details		
Name of Beneficiary			
A/c. No. CC/CD/SB/OD (beneficiary)			
Name of Bank			
IFSC NO. (Bank)			
Branch Address and Branch Code			
0	ther Details		
Vendor's PAN No.			
Vendor's Service Tax Registration No.			
Vendor's CST No/LST No/WCT No/TIN No.			
Vendor's GST Registration No.			
Declaration: I undertake the responsibility particulars. Request Signature: Requestor Name:			
Place & Date :			
Certificat	te by Bank		
Certificate that the Bank Account Details furnished above are correct as per our records.			
Bank's Stamp S	ignature of the authorized official of the Bank		
Place & Date :	MI 100		